(12)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2001

सा.का. नि. 538.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करके ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हरता** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए उन आदेशों के अनुसार जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को लागू होते हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह ज्येष्ठता अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी	675* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	7500-250-12000 रुपए	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसे प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग या भारत सरकार के समरूप अन्य संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से— (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ख) 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसे प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

:001-0039-112763.pdf http://egazette.nic.in/WriteReadData/2001/O-2475-2001-0039-1127...

(10)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :— 1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की पंक्ति का प्रवर्ग नियंत्रण अधिकारी 2. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की पंक्ति के दो अधिकारी जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। (इनमें से ज्येष्ठतम व्यक्ति अध्यक्ष होगा)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/3/98-ईजी]
श्री कुमार, उप सचिव (ईजी)

New Delhi, the 17th September, 2001

G.S.R. 538.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Senior Divisional Account Officer namely :—

1. **Short title and commencement :**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Senior Divisonal Accounts Officer) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay :**—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualification etc. :**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving :**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard, as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection cum seniority or non-selection post.
1	2	3	4	5
Senior Divisional Accounts Officer	675* (2001) Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Non Selection

2862 GI/2001--5.

(9)

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for lirect recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorprion and percentage of posts to be filled by various methods	In case of Recruitment by Promotion/Deputation/absorption, grades from which Promotion/Deputation/absorption, to be made
9	10	11	12
Not applicable	Nil	By promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Divisional Accounts Officer Grade-I in the scale of Rs. 6500-10500 with three years of regular service in the grade. **Deputation :** Officers of the Indian Audit and Accounts Department or similar other organisations of Government of India. (a) Holding analogous posts in regular basis; or (b) Divisional Accounts Officer Grade-I in the scale of Rs. 6500-10500 with three years regular service in the Grade. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) : (1) Cadre Controlling officer at the rank of Principal Accountant General/Accountant General; and (2) Two other officers at the rank of Principal Accountant General/Accountant General, to be nominated by the Comptroller and Auditor General of India. (The senior most of them will be the chairman)	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/3/98-EG]
B. KUMAR, Dy. Secy. (EG)